<u>न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2</u> बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य0वादक0–10ए / 17</u> <u>संस्थित दिनांक 17.02.2017</u> फा.नं.–आर.सी.एस.ए / 82 / 2017

1.शांतीबाई उम्र—50 वर्ष पिता फगनू पित भगत जाति गोण्ड सािकन पान्डूतला, 2.झमलीबाई उम्र—40 वर्ष पिता फगनू पित दशरथ जाति गोंड सािकन टोपला, 3.झामिसंह उम्र—24 वर्ष पिता कितकराम जाित गोंड सािकन अगन्तरा, 4.तोकिसंह उम्र—22 वर्ष पिता कितकराम जाित गोंड सािकन अगन्तरा, 5.लोकिसंह उम्र—20 वर्ष पिता कितकराम जाित गोंड सािकन अगन्तरा, 6.शिवानी उम्र—18 वर्ष पिता कितकराम जाित गोंड सािकन अगन्तरा, सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट।

....वादीगण।

विरूद्ध

1.अमरोतिनबाई उम्र—50 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना, 2.हरिलाल उम्र—24 वर्ष पिता सुदामा जाति गोंड साकिन अलना, 3.सुकदेव उम्र—40 वर्ष पिता नवलसिंह जाति गोंड साकिन अलना, 4.देवेन्द्र उम्र—28 वर्ष पिता बखरूसिंह जाति गोंड साकिन अलना, 5.संजय उम्र—35 वर्ष पिता बखरूसिंह जाति गोंड साकिन अलना, 6.जेठू सिंह उम्र—60 वर्ष पिता कोपासिंह जाति गोंड साकिन अलना, 7.टेकसिंह पिता कोपासिंह उम्र—40 वर्ष जाति गोंड साकिन अलना, 8.म0प्र शासन तरफे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट सभी तहसील बैहर जिला बालाघाट।

.....प्रतिवादीगण।

-:: <u>निर्णय</u>::-

-:: दिनांक 28 / 06 / 2017 को घोषित ::-

- 1— यह वाद वादग्रस्त भूमि मौजा कोयलीखापा प.ह.नं.55, रा.नि.म. बैहर तथा वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 51 रकबा 5.70 तथा खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 भूमि के विषय में घोषणा, संशोधन क्रमांक 36 दिनांक 31.08.2014 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने, कब्जा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त पते के निवासी होकर कास्तकारी का कार्य करते हैं। विवादित भूमि के अतिरिक्त वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। वादीगण के पूर्वज कोपासिंह खसरा नंबर 45 रकबा 15.53 एकड़, खसरा नंबर 51 रकबा 12.44 एकड़, खसरा नंबर 14.00 एकड़, खसरा नंबर 38/28 रकबा 0.57 एकड़ कुल जुमला 42.54 एकड़ भूमि पर कास्त करते थे। कोपासिंह को भूमिधारी एवं भूमिस्वामी हक प्राप्त नहीं थे। कोपासिंह द्वारा उसके

जीवनकाल में खसरा नंबर 45 रकबा 15.33 एकड़ भूमि को विक्रय कर देने के पश्चात् शेष भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 12.44, खसरा नंबर 52 रकबा 14.00, खसरा नंबर 38 / 28 रकबा 0.57 एकड़ मौजा कोयलीखापा प.ह.नं. 55 रा.नि.मं. बैहर में स्थित भूमि पर कोपासिंह की मृत्यु पश्चात कोपासिंह की पत्नी जेठियाबाई, पुत्र छोटेलाल तथा फगनू कास्त करने लगे तथा उन्हें भूमिधारी हक 1954—55 में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि जेठियाबाई, छोटेलाल एवं फगनू की स्वअर्जित भूमि थी।

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण गोंड जाति के सदस्य है, जो अपनी गोंडी प्रथाओं से शासित होते चले आ रहे है, जिनपर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। बालाघाट जिले के समस्त आदिवासि गोंड जाति के व्यक्ति पीढी दर पीढी से अपनी गोंडी प्रथाओं से शासित होते चले आ रहे है तथा गोंड जाति में पुत्रियों को माता एवं पिता की अर्जित भूमि एवं खानदानी भूमि पर हक, हिस्सा अधिकार पूर्वक नहीं दिया जाता है। माता-पिता अपनी पुत्रियों को तथा भाई अपनी बहन को भूमि पर स्वेच्छयापूर्वक जो हिस्सा बाटकर देता है उसे ही पुत्रियाँ एवं बहन प्राप्त करती है। भूमिस्वामी हक पुत्र एवं पत्नी के रहते हैं, पुत्र एवं पत्नी के रहते हुये पुत्रियों को कोई हक, हिस्सा नही दिया जाता है तथा जिस भूमिस्वामी के पुत्र एवं पत्नी नहीं होते है तथा पुत्रियाँ होती है तब ही पुत्रियाँ हक एवं हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। जेठियाबाई तथा छोटेलाल की मृत्यु के पश्चात् कुल भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 5.70 एकड एवं खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ भूमि पर एक मात्र स्वामी वादी क्रमाक 01, 02 के पिता एवं वादीगण क्रमांक 03 लगायत 06 तक के नाना फगनू कास्त करने लगे तथा एकमात्र मालिकी के तहत् मालिक काबिज होकर अपने जीवनकाल तक फगनू कास्त करते रहा। फगनू की मात्र पुत्रियाँ शान्तीबाई, मगलीबाई एवं झगलीबाई थी, जिसमें मगलीबाई की मृत्यु हो चुकी 🕏, जिसके वादी क्रमांक 03 लगायत 06 तक वारसान है, विवादित भूमि पर कास्त फगन् की सेवा-जाप्ता एवं भरणपोषण करती रही तथा फगन् की मृत्यु के पश्चात वादीगण उपरोक्त भूमि पर कास्त करने लगे।
- 4— वादीगण अपने—अपने निवास स्थान से कुछ समय तक उपरोक्त भूमि पर कास्त करते रहे किन्तु गुजारा न होने के कारण वादीगण खाने—कमाने अक्सर बाहर चले जाते थे और कुछ भूमि कोपासिंह की पुत्री जुगरीबाई के वारसान प्रतिवादीगण को अधिया में दे देते थे तथा कुछ भूमि पड़त रहती थी। वादीगण अपने पिता एवं फगनू की मृत्यु के बाद संबंधित पटवारी को लगभग 15 साल पूर्व फौती आवेदन पत्र दिये थे, तब तत्कालीन

पटवारी द्वारा कहा गया था कि उनका नाम फौती दाखिला में दर्ज कर देगा और पटवारी की बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया। उक्त भूमि हालोन नदी के भराव क्षेत्र की है। हालोन बांध के भराव क्षेत्र में जो कृषक आये है, उन्हें भूमि अधिगृहण करने तथा मुआवजा राशि प्राप्ति हेतु नोटिस मिले थे, परन्तु वादीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई, तब वादीगण संबंधित पटवारी के पास जाकर दिनांक को पूछताछ किये कि उन्हें भूमि अधिगृहण एवं मुआवजा राशि का नोटिस क्यों प्राप्त नहीं हुआ है तब दिनांक 20.10.2016 को पटवारी द्वारा बताया गया कि उनके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, बल्कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, तब वादीगण ने विवादित भूमि की संशोधन पंजी खसरा की नकल तहसील कार्यालय बैहर से प्राप्त किया, तब जानकारी हुई कि वादीगण की एकमात्र विरासतन हक एवं अधिकार की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का बिना हक अधिकार के चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मिल-जुलकर अपना नाम अवैध रूप से दर्ज करवाकर संशोधन क्रमांक 36 आदेश दिनांक 31.08.2014 को अवैधानिक रूप से संशोधन पास कर बंटवारा करवा लिया गया है, जो कि अवैध एवं शून्य होकर वादीगण पर बंधनकारी नहीं है।

- 5— प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 खसरा नंबर 51/1 में से रकबा 1.14 एकड़ एवं खसरा नंबर 52में से रकबा 1.64 एकड़ कुल 2.78 एकड़ भूमि तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 खसरा नंबर 51/1 में से 1.14 एकड़, खसरा नंबर 52 में से रकबा 3.14 एकड़ कुल 4.28 एकड़ तथा प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 05 ने खसरा नंबर 51/1 में से रकबा 1.14 एकड़ तथा खसरा नंबर 52 में से 4.42 एकड़ कुल 5.56 एकड़, प्रतिवादी क्रमांक 06 ने खसरा नंबर 51/1 में से रकबा 1.14 एकड़ तथा खसरा नंबर 52 में से 1.64 एकड़ कुल 2.78 एकड़ भूमि तथा प्रतिवादी क्रमांक 07 ने खसरा नंबर 51/1 में से रकबा 1.14 एकड़ तथा खसरा नंबर 52 में से रकबा 3.15 एकड़ कुल 4.29 एकड़ भूमि बिना हक अधिकार के अवैधानिक रूप से बंटवारा किये है, जबिक विवादित भूमि का मूल खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70 एकड़ तथा खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ भूमि एकमात्र विरासतन हक के आधार पर वादीगण के हक एवं मालिकी की भूमि है और प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है।
- 6— खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70, खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ कुल 19.70 एकड़ मौजा कोयलीखापा प.ह.नं.55, रा.नि.मं. बैहर वर्तमान रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट में स्थित भूमि पर एकमात्र वादीगण का हक घोषित किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व

प्रलेखों में प्रतिवादीगण के नाम पर अवैधानिक रूप से की गई प्रविष्टि अवैध एवं शून्य है एवं वादीगण पर बंधनकारक नहीं है कि आज्ञप्ति जारी किया जाना तथा विवादित भूमि के संबंध में बंटवारे की संशोधन पंजी क्रमांक 36 आदेश दिनांक 31.08.2014 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने तथा प्रतिवादीगण एवं उनके नौकर—चाकर, एजेन्टों तथा उनके सगे रिश्तेदारों को हमेशा—हमेशा के लिये उपरोक्त विवादित भूमि पर अवैध रूप से प्रवेश करने तथा दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किये जाने हेतु वर्तमान वाद प्रस्तुत है।

- 7- प्रतिवादीगण प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय है।
- 8— एकपक्षीय साक्ष्य के आधार पर निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न पर विचार किया जा रहा है :--
 - 1.क्या वाद अवधि बाह्य है ?
 - 2.क्या उभयपक्ष गोंड प्रथा से शासित होते है, जिसमें पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता ?
 - 3.क्या वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70 तथा खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड वादीगण के स्वामित्व की है ?
 - 4. सहायता एवं वाद व्यय ?

// <u>विचारणीय बिन्दु कमांक 01 की विवेचना तथा</u> <u>निष्कर्ष</u> //

वादीगण के अभिवचन है कि वाद कारण दिनांक 20.10.2016 को उत्पन्न हुआ, जब कोयलीखापा में स्थित भूमि वालों को हालोन बांध के डूब क्षेत्र धारियों को नोटिस मिली परन्तु वादीगण को नोटिस नहीं मिली, जिसके कारण वादीगण संबंधित हल्का पटवारी के पास जाकर भूमि की जानकारी ली तथा विवादित भूमि का नक्शा खसरा की नकल प्राप्त करने गये तब पता चला कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों ने अपना नाम दर्ज करवाया और वादीगण का नाम विवादित भूमि पर दर्ज नहीं है। उक्त संबंध में शांतिबाई वा.सा.01 ने शपथ पत्र की कंडिका-8 में कहा है कि वादीगण की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण ने अपना नाम दर्ज करवाकर बंटवारा कर लिया है। इस बात की जानकारी दिनांक 20.10.2016 को उस समय प्रापत हुई जब कोयलीखापा में स्थित भूमि वालों को हालोन नदी के डूब क्षेत्र धारियों को नोटिस मिली, परन्तु वादीगण को कोई नोटिस नहीं मिली, तब वादीगण द्व ारा संबंधित हल्का पटवारी के पास जाकर भूमि के संबंध में जानकारी ली और विवादित भूमि का खसरा नक्शा की नकल प्राप्त किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण प्रारंभ से एकपक्षीय रहे है, जिनके द्वारा ना तो वादी साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया गया है और ना ही अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। वादीगण की जनजाति तथा क्षेत्रीय परिस्थिति को देखते हुये वादीगण के अभिवचन विश्वसनीय प्रतीत होते है, उन्हें राजस्व प्रलेखों की वर्तमान स्थिति का ज्ञान नहीं रहा होगा तथा डूब क्षेत्रधारियों को नोटिस मिलने के उपरांत उन्हें वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व प्रलेख की जानकारी मिली होगी, जिससे वर्तमान वाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अविध में प्रस्तुत होना सिद्ध होता है। अतः विचारणीय प्रश्नकमांक 01 अप्रमाणित पाया जाता है।

/ / विचारणीय बिन्दु कमांक 02 की विवेचना तथा निष्कर्ष / /

- 10. हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड़(25) के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी, जब तक केन्द्र सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाय। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत-मध्किश्वर विरूद्ध बिहार राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.1996 एस.सी.1864. में यह प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार अधिनियम प्रथा से शासित होने वाली जनजातियों पर लाग नहीं होता है। अतः हिन्दुत्व अधिकार अधिनियम, 1956 पक्षकारों पर लागू नहीं होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या उभयपक्ष गोंड प्रथा से शासित होते है, जिसमें पुत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। उक्त संबंध में वादी साक्षी शांतिबाई वा.सा01 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में यह कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण गोंड जाति के सदस्य है जो अपनी गोंडी प्रथाओं से शासित होते चले आ रहे है, जिन्हें हिन्दू विधि लागू नहीं होती है। बालाघाट जिले के समस्त आदिवासि गोंड जाति के व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनी गोंडी प्रथाओं से शासित होते चले आ रहे है तथा गोंड जाति में पृत्रियों को माता एवं पिता की अर्जित भूमि एवं खानदानी भूमि पर हक, हिस्सा अधिकार पूर्वक नहीं दिया जाता है। माता–पिता अपनी पुत्रियों को तथा भाई अपनी बहन को भूमि पर स्वेच्छयापूर्वक जो हिस्सा बाटकर देता है उसे ही पुत्रियाँ एवं बहन प्राप्त करती है। भूमिस्वामी हक पुत्र एवं पत्नी के रहते हैं पुत्र एवं पत्नी के रहते ह्ये पुत्रियों को कोई हक, हिस्सा नही दिया जाता है तथा जिस भूमिस्वामी के पुत्र एवं पत्नी नहीं होते है तथा पुत्रियाँ होती है तब ही पुत्रियाँ हक एवं हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी होती है। उक्त कथनों का समर्थन होशियारसिंह वा.सा.०२ तथा रमेश वा.सा.०३ ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।
- 11— गोंड जनजाति में पुत्रियों को माता—िपता की पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। उक्त तथ्य को साबित करने हेतु ठोस सबूतों की आवश्यकता है, परन्तु वादी साक्षियों द्वारा उक्त संबंध में मात्र मौखिक औपचारिक कथन किये गये हैं। वादी साक्षियों द्वारा कहीं भी विनिर्दिष्ट रूप से यह दर्शित नहीं किया गया है कि वास्तव में गोंड जनजाति में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। वादी साक्षियों द्वारा ना तो यह दर्शित किया गया है कि पूर्व में भी उक्त अवसरों पर पुत्रियों को हक नहीं दिया जाता रहा है और ना ही उक्त संबंध में कोई समर्थित

दस्तावेजी साक्ष्य है। ऐसी स्थित में मात्र मौखिक औपचारिक कथनों के आधार पर उक्त संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यद्यपि मधुिकश्वर वाद के पैरा 46 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि मेघालय को छोड़कर सामान्यतः जनजातियों में उत्तराधिकार में पुत्रों को, पुत्रियों को प्रधानता दी जाती है, परन्तु जहाँ तक वर्तमान वाद का संबंध है, जिसमें वादीगण का यह अभिवचन है कि पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है, उक्त संबंध में वादीगण द्वारा कोई उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें यह सिद्ध नहीं होता कि उभयपक्ष गोंड प्रथा से शासित होते है, जिसमें पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक.02 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

/ / विचारणीय बिन्दु कमांक 03 की विवेचना तथा निष्कर्ष / /

वादी साक्षी शांतिबाई वा.सा01 ने कहा है कि वादीगण के पास विवादित भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। वादीगण मूल पुरूष कोपा के पुत्र फगनू की वारसान है तथा प्रतिवादीगण कोपा की पुत्री जुगरीबाई के वारसान है। वादीगण के पूर्वज कोपासिंह खसरा नंबर 45 रकबा 15.53 एकड, खसरा नंबर 12.44 एकड, खसरा नंबर 14.00 एकड, खसरा नंबर 38 / 28 रकबा 0.57 एकड़ कुल जुमला 42.54 एकड़ भूमि पर कास्त करते थे, कोपासिंह को भूमिधारी एवं भूमिस्वामी हक प्राप्त नहीं थें। कोपासिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में खसरा नंबर 45 रकबा 15.33 एकड भूमि को विकय कर देने के पश्चात शेष भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 12.44, खसरा नंबर 52 रकबा 14.00, खसरा नंबर 0.57 एकड् मौजा कोयलीखापा प.ह.नं.55 रा.नि.मं. बैहर में स्थित भूमि पर कोपासिंह के फौत होने के पश्चात कोपासिंह की पत्नी जेठियाबाई पुत्र छोटेलाल एवं फगनू कास्त करने लगे तथा उन्हें भूमिधारी हक वर्ष 1954–55 में प्राप्त हुआ। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि जेठियाबाई, छोटेलाल एवं फगनू की स्वअर्जित भूमि थी। वादीगण तथा प्रतिवादीगण के बीच विवादित भूमि ग्राम कोयलीखापा प.ह.नं.55 में खसरा नंबर 51 रकबा 5.70 एकड एवं खसरा नंबर 14 एकड कुल रकबा 19.70 एकड भूमि है। उक्त भूमि के अलावा वादीगण के पास कोई अन्य भूमि नहीं है। जेठियाबाई, छोटेलाल के फौत होने के बाद कुल भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 5.70 एकड़ एवं खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ भूमि पर एक मात्र स्वामी वादीगण क्रमांक 1, 2 का पिता एवं वादीगण क्रमांक 3, 4, 5 व 6 का नाना फगनू कास्त करने लगा तथा अपने एक मात्र मालिकी के तहत् काबिज मालिक होकर अपने जीवन काल तक फगनू कास्त करते रहा, फगनू की केवल मात्र पुत्रिया सन्तान वारिस थी जो कि कमशः शान्तीबाई, मगलीबाई एवं झगलीबाई थी, जिसमें मगलीबाई फौत हो चुकी है, जिसके वारिस वादी कमांक 3, 4, 5, 6 झामसिंह, तोकसिंह, लोकसिंह एवं शिवानी है। विवादित भूमि पर कास्त करके, समय-समय पर फगनू की वृद्धावस्था में फगनू की सेवा जाप्ता एवं भरणपोषण करती रही तथा फँगनू के फौत हो जाने के बाद वादीगण उक्त भूमि पर कास्त करने लगे।

- शांतिबाई वा.सा.01 के अनुसार कुछ समय तक वादीगण स्वयं अपने–अपने निवास स्थान से समय–समय पर आकर कारत करते रहे, खेती से गुजारा न होने के कारण वादीगण खाने-कमाने के लिये अक्सर बाहर चले जाया करते थे, जिसके कारण वादीगण कुछ भूमि कोपासिंह की पुत्री जुगरीबाई के वारिस प्रतिवादीगण को अधिया में कास्त करने हेतु दे देते थे तथा कुछ भूमि पड़त रह जाती थी। वादीगण अपने पिता एवं नाना फगनू के फौत होने के बाद संबंधित पटवारी को आज से 15 साल पूर्व फौती हेत् आवेदन पत्र दिये थे, तत्कालीन पटवारी द्वारा यह कहा गया था कि अब उन लोगों का नाम फौती दाखिला में दर्ज कर देगा, जिसपर उन्होंने पटवारी की बातों पर विश्वास कर लिया। उक्त भूमि हालोन नदी के भराव क्षेत्र की है हालोन बांध के भराव क्षेत्र में जो कृषक आये है, उन्हें भूमि अधिगृहण करने तथा मुआवजा मिलने हेतु नोटिस प्राप्त हुये, परन्तु वादीगण को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुई तब वादीगण संबंधित पटवारी के पास जाकर दिनांक 20.10.2016 को पूछा कि उन्हें भूमि अधिगृहण एवं मुआवजा की नोटिस क्यों प्राप्त नहीं हुई है, तब दिनांक 20.10.2016 को पटवारी द्वारा बताया गया कि उनके नाम से कोई भूमि दर्ज नहीं है, बल्कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है, तब वादीगण ने विवादित भूमि की संशोधन पंजी खसरा की नकल तहसील कार्यालय बैहर से प्राप्त किया तो उन्हें पता चला कि वादीगण की एक मात्र विरासतन हक एवं अधिकार की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का बिना हक अधिकार के चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मेल-जोल कर अपना नाम अवैध रूप से दर्ज करवाकर संशोधन क्रमांक 36 आदेश दिनांक 31.06.2014 को बंटवारा कर अवैधानिक रूप से संशोधन पास कर चोरी छिपे बंटवारा करवा लिया गया है जो कि अवैध होने से शून्य है और वादीगण पर बंधनकारक नहीं है। प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 07 द्वारा विवादित भूमि का बिना हक अधिकार के अवैधानिक रूप से बंटवारा कर अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जबिक विवादित भूमि का मूल खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70 एकड़, खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड भूमि एक मात्र विरासतन हक के आधार पर वादीगण के हक मालिकी की भूमि है और प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं था और ना है, जबिक विवादित भूमि पर कोपासिंह की पुत्री जुगरीबाई का कोई हक हिस्सा गोंडी रीति रिवाज प्रथा से नहीं था और ना ही गुजरी का कोई कास्त था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर किसी प्रकार से हक स्वामित्व नहीं है।
- 14— शांतिबाई वा.सा.01 का कथन है कि प्रतिवादीगण मात्र अधिया कास्त का सहारा लेकर वादीगण के एक मात्र स्वामित्व की भूमि को हड़पने की साजिश की गई है, इसलिये भूमि का बंटवारा वादीगण पर बंधन कारक नहीं है। खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70, खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ जुमला 19.70 एकड़ मौजा कोयलीखापा प.ह.नं.55 में स्थित भूमि पर एकमात्र वादीगण का हक घोषित किया जावे। विवादित भूमि के राजस्व प्रलेखों में प्रतिवादीगण के नाम पर अवैधानिक रूप से की गई प्रविष्ठि अवैध एवं शून्य घोषित किया जावे। विवादित भूमि के संबंध में संशोधन

पंजी कमांक 36 दिनांक 31.08.2014 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे तथा विवादित भूमि का वादीगण को प्रतिवादीगण से कब्जा दिलाया जावे एवं वादीगण को एकमात्र हक घोषित कर उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने एवं दखल देने से प्रतिवादीगण एवं उनके नौकर—चाकर, एजेन्टो तथा उनके सगे रिश्तेदारों को हमेशा—हमेशा के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे। वादी साक्षी शांतिबाई वा.सा.01 द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में विवादित भूमि से संबंधित अधिकार अभिलेख सन् 1954—55 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.01, विवादित भूमि का पांचसाला खसरा सन् 1993—94 से 1997 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.02, विवादित भूमि का बंटवारा पत्र दिनांक 30.09.2014 की सत्य प्रतिलिपि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04, विवादित भूमि का खसरा वर्ष 2014—15 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.05, विवादित भूमि का खसरा वर्ष 2015—16 बंटवारा पश्चात दिनांक 30.09.2014 के संशोधन के आधार पर प्र.पी.06 प्रस्तुत किया है। उक्त कथनों का समर्थन वादी साक्षी होशियारसिंह वा.सा.02 तथा वादी साक्षी रमेश वा.सा.03 ने भी अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है।

अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 12.44 एकड़ तथा खसरा नंबर 52 रकबा 14.00 एकड़ मूल पुरूष कोपा की विधवा जेठियाबाई, पुत्रों छोटेलाल तथा फगनु के नाम पर होना दर्शित है। ततपश्चात वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने के संबंध में वादीगण द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। वादीगण द्वारा मात्र मौखिक अभिवचन किये गये है कि उन्हें वर्ष 2016 में जानकारी प्राप्त हुई कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है। प्रथमतः वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि उनकी जनजाति में पत्रियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता है। तत्पश्चात यदि कुछ समय के लिये तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये तब भी स्वयं वादीगण मृतक फगनु की पुत्रियाँ तथा मृत पुत्री की संतान है, जिस संबंध में उनका अभिवचन हैं कि जिस भूमिस्वामी के पुत्र व पुत्री नहीं होती तथा केवल पुत्रियाँ होती है, तब ही पुत्रियों को अधिकार प्राप्त होता है। अधिकार अभिलेख प्र.पी.01 से वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 51 रकवा 12.44 एकड़ दर्शित है जबिक वादीगण द्वारा भूमि खसरा नंबर 51/1 रकबा 5.70 के संबंध में अनुतोष चाहा गया है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 51 के विभाजन के संबंध में वादीगण द्वारा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तृत नहीं किये गये है और ना ही शेष भूमि के संबंध में कि किस प्रकार उक्त भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई, संशोधन पंजी एवं अन्य राजस्व प्रलेखों से उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता था। संभवतः वादीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के साथ कोई व्यवस्था की गई हो क्योंकि स्वयं वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण को कास्त हेतु दिये जाने के कथन किये गये हैं। यद्यपि संपूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होना कुछ संशय प्रकट करता है, तथापि सबूतों के अलावा मात्र संशय के आधार पर उक्त संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में प्रतिवादीगण पूर्व से एकपक्षीय है। ऐसी स्थिति में वादीगण से यह अपेक्षित है कि वह समृचित साक्ष्य द्वारा अपने वाद को सिद्ध करें, परन्तु वादीगण उक्त संबंध में असफल रहे है। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 03 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

-//सहायता एवं वाद व्यय//-

16— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण उपरांत वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

अ—वादीगण अपना वाद व्यय वहन करेगे। ब—अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बैहर बालाघाट म.प्र. सही / —
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2
बैहर बालाघाट म.प्र.

